-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से अवैध गांजे की खेती करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 17.01 किलोग्राम अवैध हरा गांजा व 1100 ग्राम अवैध सूखा गांजा किया गया बरामद। अभियुक्तों द्वारा अपने घर के अन्दर बाड़े में की जा रही थी अवैध गांजे की खेती।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से अवैध गांजे की खेती करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई ग्राम गोखिया में 02 व्यक्तियों अपने-अपने घर के अन्दर बाड़े में अवैध गांजे की खेती की जा रही है तथा अवैध रुप से हरे गांजे को सुखाकर उनकी बिक्री भी की जाती है। सूचना पर तत्काल दो अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा ग्राम गोखिया में अभियुक्त लखन लाल पुत्र जयराम व संतोष उर्फ बादे पुत्र सीताशरण के घर पर छापेमारी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा दोनों के घरो से कुल 17 किलो 10 ग्राम अवैध हरा गांजा तथा 1100 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ जिसमें अभियुक्त लखन लाल के घर से 10 किलो 740 ग्राम हरा गांजा व 570 ग्राम सूखा गांजा तथा अभियुक्त संतोष के घर से 06 किलो 70 ग्राम हरा गांजा व 530 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 17 किलो 10 ग्राम अवैध हरा गांजा
- 1100 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लखन लाल पुत्र जयराम निवासी गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. सन्तोष उर्फ बादे पुत्र सीताशरण निवासी गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 417/25 धारा 8/20/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 418/25 धारा 8/20/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना अतर्रा श्री ऋषदेव सिंह
2. व0उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्र
4. कां0 जंगबहादुर
5. कां0 पंकज द्विवेदी
6. कां0 अर्जन वर्मा
7. कां0 प्रशान्त यादव